

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि०-17.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01. रवि पुत्र कल्लू 02. आनन्द पुत्र सुन्दरलाल 03. पंकज पुत्र पप्पी लाल 04. सोनू पुत्र बहादुर समस्त निवासी अंगूरीबाग को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 182/2018 वाद स०- 21/2018 धारा- 354/506/भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 17.07.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 04-04 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप कुमार



को०मो०हे०का० श्री राजेन्द्र कुमार



पैरोकार का० मुकेश पचोरी